राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1764/2013/जयपुर
मैसर्स सांवरिया स्वीट्स प्रा.लि.
जयपुर — अपीलीर्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
वृत–जे, वाणिज्यिक कर, जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री यशस्वी शर्मा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.06.2016

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 198/अपील्स–I/आरवीएटी/जे/जयपुर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–जे, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 ( जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा ) की धारा 26 व 55 के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के लिए पारित कर निर्धारण दिनांक 14.06.2012 के द्वारा रू. 1,41,564/–की मांग सृजित की है, को यथावत रखा है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकर हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2008–09 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.10.2010 को पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये डीजल जैनरेटर सेट कीमतन रू. 16,05,890/– पर आई टी सी 97,208/–का लाभ दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेश की पुनः जांच पर पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी को डीजल जैनरेटर सेट को आई टी सी का लाभ उक्त वस्तु का कैपिटल गुड्स की श्रेणी में मानते हुए दिया है जबकि डी.जी.सैट केपिटल गुडस की श्रेणी में नही आते हैं। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारण आदेश में दी गई आई टी सी रू. 97,208/–रिवर्स कर करारोपण करने की कार्यवाही करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 14.06.2012 में आई टी सी रू. 97,208/–को रिवर्स किया गया एवं रू. 44,356/– का ब्याज आरोपित किया, जिसें अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी

के आदेश दिनांक14.06.2012 को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर दी, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी मिठाई, नमकीन,फास्ट फूडस,बेकरी, कन्फैक्शनरी आदि का निर्माता है और अपीलार्थी व्यवहारी के स्वयं के स्वचालित उत्पादन यूनिट है,जिसके लिए डी जी सैट,डीफ्राजर एयरकण्डीशनिंग स्टोरेज आदि मशीनरी क्रय की गई हैं । उनका कथन है कि उक्त वस्तुओं की निर्माण प्रक्रिया में संलग्न प्लान्ट एवं मशीनरी सामान्यतया जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सप्लाई की जा रही बिजली से चलता है लेकिन विद्युत आपूर्ति में अवरोध आने पर उत्पादन प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखने के लिए बिजली की आपूर्ति हेतु डी जी सेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विद्युत की सप्लाई बाधित होने पर उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद एवं निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ साथ खराब भी हो सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए एवं अबाध रूप से विद्युत पूर्ति के लिए स्वचालित प्लान्ट हेतु डीजल जैनरेटर सेट अतिआवश्यक है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारण आदेश पारित करते समय उनकी खरीद पर आई टी सी क्लेम स्वीकार किया गया किन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी के मत भिन्नता के कारण उन्होंने आई टी सी को रिवर्स कर दिया, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि डी जी सेट अपीलार्थी व्यवहारी के विनिर्माण की प्रक्रिया व वस्तु के उत्पादन में सहायक होने से अधिनियम की धारा 2(27) के अन्तर्गत डी जी सेट केपिटल गुडस की श्रेणी में आता है। उनका कथन है कि पूर्व कर निर्धारण अधिकारी से मत भिन्नता रखते हुए पूर्वाग्रह के आधार पर अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत आदेश पारित कर आई टी सी रिवर्स किया जाना अविधिक है । उनका कथन है कि विद्वान अपीलार्थी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर उद्धरि किये गये न्यायिक दृष्टान्तों को दोहराते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी क आदेशों का समर्थन करत हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं बहस के दौरान उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु है कि मूल कर निर्धारण आदेश पारित करते समय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये डी जी सेट को केपिटल गुडस पर आई टी सी स्वीकृत किया गया है, परन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी के उत्तराधिकारी ने मत भिन्नता के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये डी जी सेट को केपिटल गुडस की श्रेणी में नहीं मानकर आई टी सी को रिवर्स किया जाकर रू. 1,41,564/–की मांग कायम की गई।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि डी जी सेट अपीलार्थी व्यवहारी के विनिर्माण की प्रक्रिया व वस्तु के उत्पादन में सहायक धारा 2(7) के अन्तर्गत डी जी सैट कैपिटल गुडस की श्रेणी में आता है। इसके समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से राजस्थान वित्त बिल, 2016 के चेप्टर द्वितीय में दिए गए एक्सप्लेनेशन को उद्धरित किया गया,जो निम्न प्रकार है :–

"Explanation :- For the purpose of this clause, generating set for generation of electrical energy to be used in manufacturing shall be treated as capital goods."

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि उक्त एक्सप्लेनेशन से स्पष्ट है कि जो वस्तु कैपिटल गुडस के रूप में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी उसे मत भिन्नता के आधार पर बाद मे कैपिटल गुडस नहीं मानना विधिक रूप से उचित नहीं है । मूल कर निर्धारण आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा क्रय किय गये डी जी सैट को कैपिटल गुडस मानकर आई टी सी स्वीकार की गई है और बाद में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कैपिटल गुडस नहीं मानना, उनकी पश्चातवर्ती सोच को प्रकट करता है । अतः बाद में उसके उत्तराधिकारी द्वारा मत भिन्नता के आधार पर डी जी सैट को कैपिटल गुडस नही मानकर आई टी सी रिवर्स किया जाना अविधिक है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन तथ्यों की अनदेखी कर आई टी सी रिवर्स किये जाने को कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को उचित ठहराया है, जो अविधिक है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा )
सदस्य